



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक आर० संख्या- 366

/ 12-1

दिनांक ०२ / 08 / 2021

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्रनगर।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटरमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 तक जोड़ने हेतु 1.225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/48741/2020.

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक- 08बी०/यू०सी०पी०/०६/६३/२०२१/एफ०सी०/३५१ दिनांक 13-07-2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की सर्शत सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके अनुपालना हेतु डिमाण्ड नोट निम्नवत् जारी किया जाता है।

- 1- शर्त संख्या-01 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2- शर्त संख्या-02 के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।
- 3- शर्त संख्या-03 (क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 2.45 हे० ग्राम-संसमण सिविल की खसरा संख्या-5170 सिविल सोंयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु मु० 09,08,710.00 धनराशि जमा करनी होगी। जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1459/3-5-2 P.O दिनांक 01-07-2021 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष 2020-21 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण -

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि -

1.225 X 2 = 2.45 हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे०-

03,70,902.00 प्रति हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि-

2.45 X 3,70,902.00 = 09,08,709.90

या 09,08,710.00 ✓

नोटिफिकेशन
20/08/21
06/08/21

शर्त संख्या-03 (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम-संसमण सिविल की गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि हस्तान्तरण, नामांतरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईड लाईन पैरा-2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

शर्त संख्या-03 (ग) के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4- **शर्त संख्या-04** के क्रम में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी, जिससे प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

5- **शर्त संख्या-05 (क)** के अनुपालन में एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.225 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 10,35,125.00 धनराशि धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0बी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन0पी0बी0 की धनराशि का आंकलन

“प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0बी0 की देयता निम्नानुसार है” :-

ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.40 MDF
एन0पी0बी की दर प्रति हे0-	मु0 8,45,000.00 (आठ लाख पैंतालीस हजार रुपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	1.225 हे0
कुल देय एन0पी0बी0 की धनराशि-	$1.225 \text{ हे0} \times 8,45,000.00 = 10,35,125.00$

शर्त संख्या- 05 (ख). के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

6- **शर्त संख्या-06** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 76 Trees and 09 Saplings से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

- 7- शर्त संख्या-07 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से ही मान्य होगी।
- 8- शर्त संख्या-08 के अनुपालन में गार्डलर्न्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा-11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 9- शर्त संख्या-09 के अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।
- 11- शर्त संख्या-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 12- शर्त संख्या-12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 13- शर्त संख्या-13 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 14- शर्त संख्या-14 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 15- बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 16- बिन्दु संख्या-16 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रॉक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार करवाकर प्रॉक्कलनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जमा करना होगा।
- 17- शर्त संख्या-17 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- 18- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 19- शर्त संख्या-19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 20- बिन्दु संख्या-20 के अनुपालन में यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या-11-42/2017/एफ0सी0 दिनांक 29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
- 21- बिन्दु संख्या-21 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है जो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।
- 22- शर्त संख्या-22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी।
- 23- शर्त संख्या-23 के अनुपालन में प्रयोक्ता यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 24- बिन्दु संख्या-24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर भी अपलोड की जानी होगी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- / दिनांकित

प्रतिलिपि :- राजि अधिकारी, राजि को इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-03 (क) के अनुपालन में मु0-09,08,710.00 धनराशि का संशोधित क्षतिपूरक वनीकरण का वृक्षारोपण प्रॉक्कलन, शर्त संख्या-03 (ग) के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल पर पूर्व में किसी भी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है, इस आशय का प्रमाण-पत्र, शर्त संख्या-04 की अनुपालन आख्या एवं शर्त संख्या-16 के अनुपालन में आर0सी0सी0 पिल्लर द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का सीमांकन प्रॉक्कलन एवं विभाग से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध कराते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
&
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/६३/२०२१/एफ.सी. 35

दिनांक: 13/07/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

पत्र वापस की तिथि 20/07/2021
वापस करने के हस्ताक्षर
गणसकलता का बटनाम
अन्यथा स्व का नाम-न बट बुझि-की-११०

विषय : जनपद - टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अंतर्गत संसमण-कोडियाल मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/ROAD/48741/2020)

सन्दर्भ:- उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-570/x-3-21/1(54)/2021 दिनांक 20-04-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.07.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार- जनपद - टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अंतर्गत संसमण-कोडियाल मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०-58) से जोड़ने हेतु मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.45 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम संसमण, खसरा संख्या 5170 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

- ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**
- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.225 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 76 trees and 9 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
8. गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।
13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि की रेती।
4. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)